हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुक्म	
14/4/21	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। काफी पुकार कराई गयी बावजूद काफी पुकार के अनुपस्थित रहने के विपक्षीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील प्रार्थीगण के बयान पर बहस सुनी। आदेश अलग से लिखा जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। आदेश की पालनार्थ तहसील जावे। पालना प्राप्त होने पर आदेश पत्रावली की जरिये पत्रावली विविध सुपुर्द होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रकरण संख्या : 209/2023

प्रार्थीगण :–

1. हिरकनराम पुत्र विरधाराम
2. हुकमाराम पुत्र गोमाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. ठाकराराम पुत्र गोमाराम
2. विरधाराम पुत्र गोमाराम
3. सोनाराम पुत्र गोमाराम
4. अर्जुनराम पुत्र गोमाराम
   जाति विश्नोई निवासी उदाणियों की ढाणी तहसील गुडामालानी
5. उकाराम पुत्र वगताराम जाति मेगवाल निवासी उदाणियों की ढाणी
6. बुधराम पुत्र रामूराम
7. हिरकनराम पुत्र रामूराम
8. चन्दन पुत्र बंशीलाल
9. सुखराम पुत्र गंगाराम
10. निम्बाराम पुत्र गंगाराम
11. भागीरथराम पुत्र गंगाराम
12. किशनाराम पुत्र जोधाराम
13. जेकन पुत्र जोधाराम
14. बाबु पुत्र जोधाराम
    जाति विश्नोई निवासी जम्भेश्वर नगर, नया नगर तहसील गुडामालानी
15. लाधूराम पुत्र रामूराम
16. भाखराराम पुत्र रामूराम जाति विश्नोई निवासी राठौडों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
17. भाणाराम पुत्र हरिंगाराम जाति विश्नोई निवासी पूनियों बास डावड तह0 गुडामालानी
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 12.02.2024

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा. भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री सुखराम विश्नोई की पत्रावली पर बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम जमाबंदी 2078 (वर्ष 2021) से स्थायी सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/12, 1341/7 रकबा क्रमशः 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा के खेत खसरा नम्बर 1341/12, 1341/7 रकबा क्रमशः 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक, नगर को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.2.24 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी
उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

क्रमांक: वाद / 2024 / दिनांक :

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

हिरकनराम **ठाकरराम वगैरा**

<u>प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढ़ी</u>

राजस्व आवेदन सं......209 / 2023.. निर्णय दिनांक :— **12.02.2024**

—:: आदेश ::—

उपरोक्त प्रकरण में ग्राम **उदाणियों की ढाणी पटवार हल्का मौखावा** के खेत खसरा नम्बर 1341 / 12, 1341 / 7 रकबा क्रमशः 0.4613, 2.9704 हैक्टेयर की भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु **भू—अभिलेख निरीक्षक, नगर**....को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींश रूपये ....500 / —...प्रार्थीगण अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी

क्रमांक: वाद / 2024 / 147—152 | 13.2.24 दिनांक :

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. थानाधिकारी.........गुड़ामालानी.
3. भू—अभिलेख निरीक्षक **नगर**
4. हल्का पटवारी....**मौखावा.** को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
5. प्रार्थीगण......... **हिरकनराम वगैरा**
6. विप्रार्थीगण....... **ठाकरराम वगैरा**

उपखण्ड अधिकारी,
गुडामालानी